उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद – 29/2018

ढुलु महतो वो0 बनाम् कमलेश्वर महतो वो0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
23-03-2022	यह वाद आवेदक ढुलु महतो वो फनी महतो वो भरथु महतो तीनो के पिता स्व0 दिनु महतो वो गोवर्द्धन महतो वो अशोक महतो दोनो के पिता स्व0 सुरेश महतो सभी का साकिन ग्राम हेरमदगा थाना गोला जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 07/2018 कौलेश्वर महतो वो0 बनाम ढुलु महतो एवं अन्य में दिनांक 11.07.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया गया है। जो प्रश्नगत भूमि ग्राम हेरमदगा थाना गोला जिला रामगढ़ के खाता न0 32 प्लॉट न0 412 रकवा 0.54 ए0 भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, उनके द्वारा दाखिल आवदेन, कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष का कहना है कि मौजा हेरमदगा थाना गोला जिला रामगढ़ का खाता न0 32 प्लॉट न0 412 रकवा 0.54 ए0 जमीन सर्वे खतियान मे स्व0 लक्ष्मण महतो पिता चमरू महतो के नाम से दर्ज है, जो नावल्द मर गये। उसके बाद उक्त वर्णित भूमि को जमींदार द्वारा खाता न0 32 प्लॉट न0 412 रकवा 0.54 ए0 जमीन दीनु महतो को हुकुमनामा बंदोबस्ती सम्वत् 1986 साल को कर दिया। जिसपर दीनु महतो अपने जीवन काल में दखलकार हुए और जमींदार को लगान दिया। स्व0 दीनु महतो के मरने के बाद मौजा हेरमदगा के खाता सं0 32 प्लॉट न0 412 रकवा 0.54 ए0 जमीन पर उनकी पत्नी मो0 माखो देवी दखलकार हुए।	

क्र०

मो0 माखो देवी पति स्व0 दीनु महतो ने प्रश्नगत भूमि अपने पुत्र सुरेश महतो, ढुलु महतो, फुना महतो एवं भरथु महतो चारो के पिता स्व0 दीनु महतो के पास निबंधित केवाला संख्या दिनांक 06.05.2005 को रजिस्ट्री कर दिया, जिसपर सुरेश महतो, ढुलु महतो, फुना महतो, एवं भरथु महतो दखलकार हुए और दखल कब्जा में रहते हुए अंचल अधिकारी, गोला के समक्ष दाखिल खारिज आवेदन पर अंचल अधिकारी, गोला ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, गोला ने उक्त वर्णित जमीन का दाखिल खारिज वाद संख्या 33/2005/06 है, जिसके आधार पर उक्त जमीन का सरकारी रसीद सुरेश महतो वो0 के नाम से 2016–17 तक निर्गत है, जो पंजी ।। के पेज संख्या 41/4 में दर्ज है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण उक्त वर्णित जमीन के बावत अंचल अधिकारी, गोला के समक्ष आवेदन दिया। जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, गोला ने उक्त वर्णित जमीन का जांच अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी से करवाया। हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, गोला अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन द्वितीय पक्ष के सुरेश महतो वो0 को दाखिल खारिज वाद संख्या 33/2005–06 के आधार पर जमाबंदी निर्गत है और सरकारी रसीद अद्यतन कटते आ रहा है। अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि द्वितीय पक्ष के कौलेश्वर महतो वो0 का रसीद निर्गत को रद्ध कर दिया और अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि कौलेश्वर महतो वो0 प्रश्नगत जमीन के बावत स्वत्व वाद निर्धारण हेतु व्यवहार न्यायालय में आवेदन दाखिल करें। अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा निर्गत आदेश से स्पष्ट होता है कि मौजा हेरमदगा के खाता न0 32 प्लॉट न0 412 रकवा 0.54 ए0 भूमि प्रथम पक्ष के सुरेश महतो, ढुलु महतो, फुना महतो, भरथु महतो का दखल कब्जा में चला आ रहा है तथा सरकारी रसीद अंचल अधिकारी के आदेश से निर्गत हो रहा है। अतः भूमि

सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, गोला द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध किया है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा हेरमदगा थाना गोला जिला रामगढ़ के खाता न0 32 प्लॉट न0 412 रकवा 0.54 ए0 भूमि के बावत माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में विविध अपील वाद संख्या 07/2018 में दिया गया आदेश पुर्ण रूप से सही है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में किया गया अपील पोषणीय नही है, खारिज करने योग्य है।

इनका आगे कहना है कि कि मौजा हेरमदगा थाना गोला जिला हजारीबाग हाल जिला रामगढ़ के खाता सं० 32 प्लॉट सं० 412 रकबा 0.54 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में लक्ष्मण महतो के नाम से दर्ज है, लेकिन वे नावल्द फौत कर गए। यह स्वीकारात्मक है कि उभय पक्ष एक ही वंशज स्व0 फौदा महतो के उत्तराधिकारी हैं। भूतपुर्व जमींदार ने उक्त भूमि बोधा महतो, बिरसाई महतो एवं विजय महतो तीनो पिता स्व0 फौदा महतो को सम्वत् 1984 को बंदोबस्त कर दिया। उभय पक्ष फौदा महतो के वशज है। उपरोक्त भूमि की जमाबंदी बोधा महतो, बिरसाई महतो एवं विजय महतो के नाम से बराबर हिस्सा 1/3 भाग के हिसाब से लगान रसीद निर्गत हो रहा है जो पेज न0 174 भोलुम न0 01 एवं रसीद संख्या संख्या 0424260286 है। बोधा महतो का पोता ने अंचल अधिकारी, गोला को एक आवेदन दिया कि प्रश्नगत भूमि 0.54 ए0 उनके पिता स्व0 दीनु महतो का अधिग्रहित भूमि है, जो हुकुमनामा से प्राप्त है। दीनु महतो की पत्नी माखो देवी ने निबंधित केवाला संख्या 1514 दिनांक 06.05.2004 से स्थानांतरित कर दिया जिसका जमाबंदी पेज न0 41/IV पर उनके नाम से चल रहा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि ऑनलाईन प्रणाली में प्रवेश करने के समय अपीलकर्त्ताओं के नाम पर उसी के लिए जमाबंदी दर्ज की गई और उसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, गोला ने दोनो पक्षों की सुनवाई की और अपीलार्थी के हुकुमनामा एवं बंटवारानामा पर बिना विचार

किए हुए अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर पंजी II के पेज सं 174/1 पर द्वितीय पक्ष के नाम से चल रही जमाबंदी को स्थगित रखने हेतु आदेश पारित किया।

अन्त में इन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखने का अनुरोध करते हुए कहा है कि अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा विविध वाद सं०–11/2016–17 में पारित आदेश को निरस्त किया जाय। चूँकि एक ही भूमि पर दोनों पक्ष दावा करते है। अर्थात मामला स्वत्व से संबंधित है। इसलिए जब तक संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय से स्वत्व निर्धारण नहीं करा लेते तब तक किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुनने, प्राप्त कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त विविध अपील वाद सं०–07/2017–18 में पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा हेरमदगा के खाता सं०–32 सर्वे खतियान में लक्ष्मण महतो पिता–चमरू महतो के नाम से रैयती दर्ज है। जिसमें दोनों पक्षों एवं अंचल अधिकारी, गोला के अनुसार खतियानी रैयत नावल्द फौत कर गये, जिसके कारण भूमि को जमीन्दार ने अपने कब्जे में कर लिये। दोनों पक्षों का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा सादा हुकुमनामा से प्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वंशावली के अनुसार दोनों पक्ष फौदा महतो के वारिशान है, तो भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा एक ही परिवार के अलग–अलग व्यक्तियों के नाम बंदोबस्त करना या सादा हुकुमनामा देना संदेह उत्पन्न करता है। अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी का आधार दाखिल खारिज वाद सं०–33/2005–06 बताया गया। लेकिन जमाबंदी का आधार स्पष्ट नहीं है। अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि द्वितीय पक्ष दीना महतो के नाम कायम जमाबंदी का आधार क्या है। दुसरी तरफ जब दीना महतो के नाम जमाबंदी कायम था, तो उनकी पत्नी को

अपने पुत्रों के नाम से केवाला करना संदेह उत्पन्न करता है। अंचल अधिकारी, गोला के अनुसार एक ही भूमि की लम्बी अवधि से दो–दो समानांतर जमाबंदी कायम है एवं दोनों जमाबंदी कायम का स्पष्ट आधार नहीं है। इसलिए दोनों जमाबंदी संदेह उत्पन्न करता है। चूँकि एक ही भूमि पर दोनों पक्ष दावा करते है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 07/2018 कौलेश्वर महतो वो0 बनाम ढुलु महतो एवं अन्य में दिनांक 11.07.2018 को पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है अर्थात मामला स्वत्व से संबंधित है। प्रथम पक्ष चाहे तो स्वत्व का निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय का सहारा ले सकते है।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

संचित करे।

लेखापित वो संशोधित।

माधवी मिश्रा
23.03.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
23.03.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 16:07:27 +05:30
Location: 192.168.0.4